15. STATUTES REGARDING REGULARISATION OF SERVICES OF PURELY TEMPORARY LECTURERS.

(As approved by the Chancellor on 1-12-1978 vide his Deputy Secretary's letter no. 3666/GS (I) 16-11-1978)

प्राध्यापकों की नियुक्ति से सम्बंधित परिनियमों में किसी बात के होने पर भी विश्वविधालय के ऐसे प्राध्यापकों की नियुक्ति जो 19 नवंबर 1977, को कार्यरत रहे हो निम्नलिखित शर्तों के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग/विश्वविधालय सेवा आयोग की अनुसंसा पर की जा सकेगी:-

(1) विश्वविधालय सेवा में नियुक्ति ऐसे अस्थाई व्याख्याता जिन्होंने बिहार राज्य के किसी विश्वविधालय/ विभाग अथवा एक या एक से अधिक अंगीभूत अथवा संबंधन प्राप्त महाविद्यालय में दो शैक्षिक सत्रों में तिथि 30. 6 . 77 को कुल मिलकर 18 माह की वास्तविक सेवा की है और अस्थाई नियुक्ति में कुलपति की राय में अधोलिखित शर्तें पूरी होती हैं, तो कुलपति विश्वविधालय सेवा में उनकी नियुक्ति पर, अधिनियम के अनुसार अनुशंसा करने लिए बिहार लोक सेवा आयोग को सिफारिश कर सकते है और बिहार लोक सेवा आयोग उनके मामले पर विचार कर विश्वविधालय द्वारा नियुक्ति हेतु अनुशंसा कर सकता है :-

(क) जिस पद पर तत्काल सम्बंधित व्याख्याता कार्यरत है वह पद विधिवत सृजित हो.

(ख) जिन पदों पर की गई नयुक्तियों को मिलकर 30 . 7 . 77 को कम से कम 18 माह वस्तविक सेवा पुरी होती है वे सभी पद नियुक्ति के समय विधिवत सृजित थे.

(ग) दिनांक 30.6.77 को 18 माह की विस्ताविक सेवा के पूर्व उनकी नियुक्ति किसी विश्वविधालय/अंगीभूत महाविधालय में विधिवत स्वीकृत व्याख्याता पद पर राज्य सरकार द्वारा विज्ञापन के लिए मान्यता प्राप्त पटना से निकलनेवाले दैनिक समाचार पत्र जैसे इंडियन नेशन, सर्चलाइट, प्रदीप, आर्यावर्त या भारत के किसी प्रमुख दैनिक समाचार-पत्र में विज्ञापित हुआ था तथा विश्वविधालय, महाविद्यालय द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा पर की गई थी और चयन समिट द्वारा चयन करने में किसी विशेषज्ञ या विशेषग्यो की सहायता ली गई थी.

(घ) उनका कार्य संतोषप्रद रहा हो

(2) ऐसे व्याख्याता की वरीयता की गणना राज्य के लोक सेवा आयोग की अनुशंसा की तिथि से की जाएगी तथा उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि भी उस तिथि के आधार पर अनुमन्य की जाएगी

(3) ऐसे अस्थाई शिक्षक जिनकी वास्तविक सेवा अवधि दिनांक 30 . 6 . 77 को किसी विधिवत स्थाई स्वीकृत पद पर कार्यरत रहे उनकी नयुक्ति में उपर्युक्त उप-कंडिका (1) में विहित सभी शर्तें पूरी होती है तो उन्हें उनके पद के विज्ञापन पर आयोजित अन्तर्वीक्षा में शामिल होने के लिए उसी अहर्ता के आधार पर आयोग बुला सकेगा जो उसकी स्थाई नियुक्ति के समय सम्बंधित विश्वविद्यालय के परिनियम में विहित थी.

(4) संबंधन प्राप्त कॉलेजो में नियुक्ति अस्थाई व्याख्याताओ के मामले को विश्वविधालय सेवा आयोग के विचारार्थ कुलपति द्वारा अपनी अनुशंसा के साथ भेजने में उन्हीं शर्तों एवं प्रतिक्रिया का पालन किया जाएगा जो विश्वविधालय के सेवा में नियुक्ति अस्थाई व्याख्याताओं के सम्बन्ध में उपर्युक्त उप-कंडिका में विहित है.

नोट– (1) इस परिनियम में उल्लेखित "प्रध्यापक" एवं "व्याख्यता" दोनो भाब्दों का अर्थ एक ही है, यथा "लेक्चरर"।

(2) इस अनुच्छेद में उद्दत परिनियम कुलाधिपति द्वारा दिनांक 1.11.1978 को अनुमोदित हुआ, जिसे उनके उप–सचिव ने पत्रांक 3666 जी. एस. (1) दिनांक 16 नवम्बर, 1978 द्वारा परिचारित किया।

●